मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 03/16/2021, दिनांक 07.05.2022

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)हेतु अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि एवं ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुन: प्रारंभ करने की सूचना

ऑनलाइन आवेदन अवधि दिनांक 09.05.2022 से
13.05.2022 (<u>रात्रि12:00 बजे</u>)

01 आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सहायक यंत्रियों के पदों की पूर्ति हेतु "राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021" का विज्ञापन क्रमांक 16/2021, दिनांक 30.12.2021 आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in पर जारी किया गया है

02 उक्त परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 8609/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.05.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2022 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगें।

03 उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 8609/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

04 चूंकि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु दिनांक 22.05.2022 को परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जानी है । अत: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के केवल उन अभ्यर्थियों हेतु जो 40 वर्ष या अधिक आयु होने से उक्त परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे, ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दिनांक 09.05.2022 से 13.05.2022 (रात्रि12:00 बजे) तक पुन: प्रारंभ की जा रही है । ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार भी केवल उक्त अवधि में ही किया जा सकेगा। <u>उक्त अवधि में केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे जिनकी आयु 40 वर्ष या उससे अधिक हो किन्तु 45 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।</u> परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 17.05.2022 से www.mponline.gov.in तथा https://mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे।

05 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

सचिव